



2026:AHC: 2870

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19618 वर्ष 2025

ओम प्रकाश

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	सुनील कुमार राम
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर, उन्हें प्रतिवादी संख्या 4, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ, सिलचर को पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार राम की ओर से बहस कर रहे श्री बी.बी. राय (A/B 0246/12) और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश त्रिपाठी को सुना गया।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति 08.04.1990 को ए.एस.आई./जी.डी. के पद पर हुई थी और वे 30.11.2021 को सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि एक निश्चित अवधि के दौरान वह अनुपस्थित थे और उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया था कि वह जुलाई 2021 से नवंबर 2024 (आदेशानुसार) की अवधि के वेतन के हकदार थे।
4. वर्तमान याचिका में प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 4, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ, सिलचर द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
6. ऐसे सुझाव पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. विरोधी पक्षों के तर्कों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ **निस्तारित** किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे; जो इसे 16.01.2026 तक प्राप्त होने पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से याचिकाकर्ता के दावे को तय करने की कार्यवाही करेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 4 की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उसे प्रेषित कर दिए जाएं।

8. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह न निकाला जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किया है।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

7 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)